

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अक्टूबर, 2022

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-15/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधयेक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) को दिनांक 01-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 14 का संशोधन ।
4. धारा 48 का संशोधन ।
5. धारा 48क. का अन्तःस्थापन ।
6. धारा 57 का संशोधन ।
7. धारा 308क. का अन्तःस्थापन ।

2022 का अधिनियम संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्टूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (19) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(19क) “कुटुम्ब” से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगरपालिका के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;”;

(ख) खण्ड (31) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(31 क) “विहित” से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;”;
और

(ग) खण्ड (36) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(36 क) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;”;

3. धारा 14 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अन्त में “।” चिन्ह के स्थान पर “:” चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण नगरपालिका की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियां और अधिरोपित कर्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् धारा 271 में यथाउपबंधित रीति में नगरपालिका के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक् रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।”।

4. धारा 48 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 48 के शीर्षक में, “नगरपालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार” शब्दों के स्थान पर “सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सौंपे गए कृत्य” शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 48क. का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“48क. नगरपालिकाओं के बाध्यकर कृत्य.—नगरपालिकाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकती है या अपना सकती है, अर्थात्:—

- (क) नालियों और जल निकास संकर्मों का तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों, और वैसी ही सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई;
- (ख) सार्वजनिक और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए साधनों और संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (ग) गन्दगी, कूड़े और अन्य घृणाजनक या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, उनको हटाना और उनका व्ययन;
- (घ) अस्वास्थ्यकर स्थलों का पुनरुद्धार, हानिकर घासपात को हटाना और साधारणतया सभी न्यूसेंसों का उपशमन;
- (ङ) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थानों का विनियमन और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण;
- (च) पशु तालाब का निर्माण और रख-रखाव;
- (छ) खतरनाक रोगों का निवारण और रोकथाम के उपाय;
- (ज) नगरपालिका बाजारों का निर्माण और अनुरक्षण और उनका विनियमन;
- (झ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन और उपशमन;
- (ञ) खतरनाक भवनों और स्थानों की सुरक्षा या उनको हटाना;
- (ट) सार्वजनिक पथों, पुलों, पुलियों, सेतुओं और ऐसी ही अन्य चीजों का निर्माण अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन तथा सुधार;
- (ठ) सार्वजनिक पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करना, जल छिड़कना और सफाई;
- (ड) पथों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में से बाधाओं और निकले हुए भागों को हटाना;
- (ढ) पथों और परिसरों का नामकरण और संख्यांकन;
- (ण) नगरपालिक कार्यालयों का अनुरक्षण;

- (त) सार्वजनिक पार्क या उद्यान या आमोद-प्रमोद के स्थल बनाना और उनका अनुरक्षण;
- (थ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिकाओं में निहित होने वाले स्मारकों और संस्मारकों का अनुरक्षण;
- (द) नगरपालिकाओं में निहित या प्रबन्ध के लिए उसको न्यस्त सभी सम्पत्तियों के मूल्य को बनाए रखना और उसकी अभिवृद्धि;
- (ध) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;
- (न) सड़कों के किनारों पर वृक्षों का रोपण और उनकी देखभाल इत्यादि;
- (प) भूमि और निर्माणों का सर्वेक्षण; और
- (फ) परिवार रजिस्टर का ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अनुरक्षण।”।

6. धारा 57 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (4) में “लोक नीलामी द्वारा” शब्दों के पश्चात् “या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए,” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 308क. का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 308 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“308क. नियम बनाने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद से सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022

ARRANGMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 14.
4. Amendment of section 48.
5. Insertion of section 48A.
6. Amendment of section 57.
7. Insertion of section 308A.

Act No. 17 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OCTOBER, 2022)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

(a) after the clause (19), the following clause shall be inserted, namely:—

“(19-a) “family” means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipality;”;

(b) after clause (31), the following clause shall be inserted, namely:—

“(31-a) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;” and

(c) after the clause (36), the following clause shall be inserted, namely:—

“(36-a) “section” means the section of this Act;”.

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of second proviso for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that if the elections to a Municipality could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Municipality due to reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Municipality by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 271 from the date of expiry of the term of the Municipality till a new body has been duly constituted after completion of the election process.” .

4. Amendment of section 48.—In section 48 of the principal Act, in the heading, for the words “Powers and authorities of municipalities”, the words “Functions of Municipality to be entrusted by the Government” shall be substituted.

5. Insertion of section 48A.—After section 48 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“48A Obligatory functions of Municipalities.—It shall be incumbent on the Municipalities to make adequate provisions by any means or measures which it may lawfully use or take for each of the following matters, namely:—

- (a) the construction, maintenance and cleaning of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences;
- (b) the construction and maintenance of works and means for providing supply of water for public and private purposes;
- (c) the scavenging, removal and disposal of filth, rubbish and other obnoxious or polluted matters;
- (d) the reclamation of unhealthy localities, the removal of noxious vegetation and generally the abatement of all nuisances;
- (e) the regulation of places for the disposal of the dead and the provision and maintenance of places for the said purpose;
- (f) the construction and maintenance of cattle pound;
- (g) measures for preventing and checking the spread of dangerous diseases;
- (h) the construction and maintenance of municipal markets and the regulation thereof;
- (i) the regulation and abatement of offensive or dangerous trades or practices;

- (j) the securing or removal of dangerous buildings and places;
- (k) the construction, maintenance, alteration and improvements of public streets, bridges, culverts, cause ways and the like;
- (l) the lighting, watering and cleaning of public streets and other public places;
- (m) the removal of obstructions and projections in or upon streets, bridges and other public places;
- (n) the naming and numbering of streets and premises;
- (o) the maintenance of municipal offices;
- (p) the laying out of the maintenance of public parks, gardens or recreation grounds;
- (q) the maintenance of monuments and memorials vested in a local authority in the municipal area immediately before the commencement of this Act or which may be vested in the Municipalities after such commencement;
- (r) the maintenance and development of the value of all properties vested in or entrusted to the management of the Municipalities;
- (s) the fulfillment of any other obligation imposed by or under this Act or any other law for the time being in force;
- (t) planting and care of trees on road sides etc.;
- (u) survey of buildings and lands; and
- (v) Maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.”.

6. Amendment of section 57.—In section 57 of the principal Act, in sub-section (4), after the words “by public auction”, the words “or otherwise in the manner as may be prescribed” shall be inserted.

7. Insertion of section 308A.—After section 308 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"308A. Power to make rules.—(1) Save as otherwise provided in any other provision of this Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a period of not less than ten days which may comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately

following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."